"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2005 — अग्रहायण 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 (अग्रहायण 28, 1927)

क्रमांक - 14133/विधान/2005.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005, (क्रमांक 18 सन् 2005), जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) को और संशोधन करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 165 का संशोधन 2. छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6 - ङ ङ) का लोप किया जाय.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों की व्यवस्था हेतु छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6 - ङ ङ) में संशोधन करने हेतु यह विधेयक लाया जा रहा है.

रायपुर
दिनांक 13-12-05

बृजमोहन अग्रवाल
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

भू - राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 - अन्तरण के अधिकार की उपधारा (6 - ङ ङ) के सुसंगत उद्धरण.

* *

(6- ङ ङ) उपधारा (6) के अधीन घोषित किसी आदिम जनजाति के भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आदिम जनजाति का न हो, अन्तरित की गई कृषि भूमि ऐसे अन्तरण की तारीख से दस वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन कि लिए व्यपवर्तित नहीं की जायेगी.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.